(56)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग – 891 – II-16

प्रकरण क्रमांक निगरानी /2016

चन्द्रभान पुत्र स्व. बाबूलाल रावत
निवासी– रामनगर तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. भानकुंवर पुत्री स्व. श्री बाबूलाल रावत पत्नी स्व. श्री सुखलाल चौबे ग्राम रामनगर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) हाल निवासी गठेवाला रामनगर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. रूकमन पुत्री स्व. बाबूलाल रावत पत्नी गिरिजा निवासी– पुरमहू तहसली महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. सीता पुत्री स्व. बाबूलाल रावत पत्नी प्रकाश दुबे निवासी– पढराहा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना (म.प्र.)
4. रामस्वरूप पुत्र स्व. बाबूलाल रावत निवासी– रामनगर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकागण

दिनांक 14.3.16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अधि० द्वारा प्रस्तुत/
14.3.16
Shivastav SO

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर, जिला छतरपुर के न्यायालय के प्रकरण क्र. 48/अपील/अ–6/09–10 में पारित आदेश दिनांक 29.02.16</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-891-दो/2016 जिला छतरपुर चंद्रभान विरूद्ध भानकुंवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 48/अपील/अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 29-02-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 14-03-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

05/02/19

3

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 15-04-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

05/02/19

(आर.के. जैन)
सदस्य